कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक / एफ– / 1 / सा.प्र.वि. / शि.जां. / 2025 / 1339 भिलाई, दिनांक 6/10/25

/ / आदेश / /

श्री हरिओम गुप्ता, सहायक राजस्व निरीक्षक को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4037 भिलाई, दिनांक 20.07.2025 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रं. WPPIL 58 / 2019 में पारित आदेश अनुसार नेशनल हाइवे एवं शहर के मुख्य मार्गो में प्रतिदिन आवारा एवं घुमन्तु पशुओं को हटाये जाने की कार्यवाही हेतु गठित टीम का प्रमुख बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन के आगमन दिनांक 20.07.2025 को कोहका, भिलाई स्थित रूंग्टा आर–01 में कार्यक्रम निर्धारित था। जिस हेतु दिनांक 19.07.2025 को प्रवास मार्ग में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया एवं सायं 4.00 बजे व्हाटसएप्प के माध्यम से उक्त निर्देश प्रसारित किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास मार्ग से आवारा पशुओं को प्रातः हटाये जाने की कार्यवाही किया जाना था, परन्तु श्री हरिओम गुप्ता प्रातः कार्य स्थल पर वाहन एवं टीम के साथ उपस्थित नहीं हुये। उनके द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1069 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा विभागीय जांच संस्थित किया गया है।

अतः उक्त संस्थित विभागीय जांच को जारी रखते हुए श्री हरिओम गुप्ता, सहायक राजस्व निरीक्षक को निलंबन से बहाल किया जाता है तथा निलंबन अवधि के वेतन भत्ते के संबंध में विभागीय जांच उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र / एफ– / 1 / सा.प्र.वि. / शि.जां. / 2025 / 1340 भिलाई, दिनांक 6/10/25

प्रतिलिपि :–

1. महापौर / अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. लेखाधिकारी / जनसंपर्क अधिकारी / राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. सहायक अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी लिपिक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
10. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
11. **श्री हरिओम गुप्ता, सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।**

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Scanned with CamScanner